न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर

बइजलास श्री चिमनलाल मीना R.A.S.

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
171 / 2021	09 / 11 / 2021	02 / 02 / 2023

– उनवान –

1. कैलाश पुत्र छोटू
2. लक्ष्मण पुत्र बाबूलाल
3. गैन्दीलाल पुत्र बाबूलाल
4. किशनलाल पुत्र लालाराम
5. प्रहलाद पुत्र लालाराम
6. शंकर पुत्र लालाराम
7. कोशल्या पुत्री सीताराम

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम भावपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर, राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. लालाराम पुत्र लादूराम
2. राजू पुत्री लादूराम
3. मन्ना पुत्री लादूराम
4. धोनी पुत्री लादूराम
5. कोशल्या पुत्री लादूराम

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम भावपुरा तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0।

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री राजेश कुमार पारीक – वकील प्रार्थीगण

श्री रामकरण शर्मा – वकील अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5

प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251–ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार पारीक ने यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण इस कथन के साथ पेश किया कि प्रार्थीगण की भूमि ग्राम भावपुरा पटवार हल्का मानोता तहसील जमवारामगढ में भूमि खसरा नम्बर 301 रकाब 0.6800 हैक्टेयर सह खातेदारी की भूमि है। जिसमें आने जाने हेतु खसरा नम्बर 351 में से चालू रास्ता है। जिसमें से खसरा नम्बर 299 में से होते हुये प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 301 में कई वर्षो से आते जाते है। प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 301 के चारों ओर कोई भी अन्य आने जाने का राजस्व नक्शें में रास्ता दर्ज नही है और मौके पर कोई रास्ता उक्त खसरा नम्बर 301 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 299 में से लाल रंग से दर्शित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है उक्त रास्ते को संलग्न नजरी नक्शें मौके में लाल रंग से दर्शित किया गा है जो 12 फीट चौडा रास्ता है। जिसमे से होकर प्रार्थीगण काफी वर्षो से अपने खेत खसरा नम्बर 301 में आते जाते है तथा कदमी रास्ता बना हुआ है। प्रार्थीगण ने पुख्ता मकानात रहवास बना लिया है इसके बाद उक्त लोगों को रास्ते में आने जाने हेतु बाधा उत्पन्न करते है तथा इसके अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अप्रार्थीगण के मन में कुछ समय से बदनियति आ गयी है और वह उक्त रास्ते में बाधा उत्पन्न करने लगे है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कई मर्तबा आग्रह किया कि आपसी सहमति से रिकार्ड में रास्ता कायम करवा ले एवं उचित मूल्यांकन प्राप्त कर ले या उक्त रास्ते हेतु भूमि उपलब्ध करवा ले इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण इस हेतु अंतिम रूप से दिनांक 20.01.2021 को इन्कार हो गये और एलानिया कहा कि अब हम रास्ते का उपयोग नही करने देगे ना ही रास्ता रिकार्ड में दर्ज करवायेगें तथा तुमने यहा से आने जाने की कोशिश की तो तुमको जान से मार देगे और तुम्हारे खिलाफ झुठे मुकदमें दर्ज करवा देगें तथा उक्त रास्ते पुख्ता दिवार खिचकर बन्द कर देगें जिस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः ग्राम भावपुरा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 301 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 299 में से होकर जिसे संलग्न नजरी नक्शें मौके मे लाल रंग से दर्शाया गया है 12 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0रास्ता दर्ज किया जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। पैरोकार सरकार ने अपने पत्रांक / रीडर / 2021 / 53 दिनांक 17.02.22 द्वारा अपना जवाब व रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ख0न0 301 रकाब 0.68हैक्टेयर ग्राम भावपुरा जमाबन्दी संवत 2076 से स्थाई खातेदार कैलाश पुत्र छोटू हि0 5/48, गैन्दीलाल पुत्र बाबूलाल हि0 5/144 गोपाल पुत्र भोरिया हि0 1/4 जाति मीणा सा0देह वगै0 शेष खातेदार जमाबन्दी अनुसार है। ख0न0 299 रकबा 0.75हैक्टेयर ग्राम भावपुरा मुताबिक जमाबन्दी संवत 2076 से स्थाई खातेदार कौशल्या पुत्री लादूराम धोनी मन्ना राजू पुत्रिया लादूराम हि0 4/5 लालाराम पुत्र लादूराम हि0 1/5 जाति मीना सा0देह वगै0 के नाम दर्ज है। प्रार्थी ने ख0न0 299 रकबा 0.68हैक्टेयर में से आने जाने हेतु अपने खेत ख0न0 301 में रास्ता चाहा है। उक्त खसरा नम्बर मौके पर देखा गया। प्रार्थीगणों ने अपने खेत ख0न0 301 मे रहवास बना रखा हैं। ख0न0 299 ग्राम भावपुरा के आबादी ख0न0 510 व 351 गै0मु0रास्ते के लगवा है। प्रार्थीगण अभी ख0न0 299 की उत्तरी मेड से आ जा रहा है। जिसका नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थीगणो ने ख0न0 299 की दक्षिणी में जो कि गै0मु0रास्ता 351 ख0न0 के लगवा है। उक्त खसरे में से 12 फीट चौड़ा 41मी0 रास्ता चाहा गया है। मुताबिक नक्शे से इसकी लम्बाई 41 मीटर बनती है। जिसको नीली स्याही से सलग्न नक्शे मे दर्शाया गया है। अत प्रार्थीगणों ने अपने खेत ख0न0 301 में आने जाने के लिए ख0न0 299 मे से रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र लगाया है जिससे अपने खेत रहवास में आ जा सके। जो सही है। दिनांक 31.03.2022 को अप्रार्थीगण 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 07.07.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र 251 ए प्रारम्भिक आपत्ति मय मदवार जवाब पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रारम्भिक आपत्ति में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 301 के सभी खातेदारो की ओर से प्रार्थना पत्र 251ए का पेश नही किया गया जबकि कानूनन खसरा नम्बर 301 के सभी सहखातेदारो की ओर से प्रार्थना पेश किया जाना चाहिए था जो नही करने के दोष के कारण प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावें। ख0न0 301 में सहखातेदार रामफूल पुत्र नहनू हि0 1/20 है जिसकी लगती हुयी भूमि खसरा नम्बर 303 है जो खसरा नम्बर 351 के रास्ते से लगती हुयी होने के कारण व रास्ते का उपयोग खसरा नम्बर 303 में से ही हो रहा है ऐसी स्थिति मे खसरा न0 299 के खातेदारो के विरूद्व प्रार्थना पत्र गलत पेश किया गया। ख0न0 301 के लगता हुआ खसरा नम्बर 303 है जो रास्ते से लगता हुआ है जबकि खसरा न0 299उ खसरा नम्बर 301 के उत्तर दिशा में होने से खसरा न0 299 मे से रास्ता नही दिया जा सकता। निकटतम खसरा न0 303 मे से ही रास्ता दिया जा सकता है। इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। मदवार जवाब में निवेदन किया कि मद सं0 1 अस्वीकार है ख0न0 299 होकर कोई रास्ता नही है। ख0न0 303 का खातेदार खसरा नम्बर 301 का सहखातेदार है तथा खसरा नम्बर 303 रास्ते के खसरा न0 351 व ख0न0 301 के निकटतम होने से खसरा न0 299 मे होकर कोई रास्ता नही लिया जा सकता है। मद सं0 2 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र सभी सहखातेदारो की ओर से पेश नही किया गया व खसरा नम्बर 301 की सहखातेदारो की भूमि 303 है जो खसरा नम्बर 301 के निकटतम भी है व इसी में से होकर रास्ता चालू है खसरा नम्बर 299 में से होकर कोई रास्ता चालू नही है। मद सं0 3 आधारहीन होने से अस्वीकार है दिनांक 20.10.2021 को अप्रार्थीगण से कोई वार्ता नही हुयी खसरा नम्बर 299 खसरा नम्बर 301 उत्तर दिशा में है जो खसरा नम्बर 303 से दूर स्थित होने से खसरा नम्बर 299 मे होकर कोई रास्ता नही लिया जा सकता है। इसी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अत खसरा नम्बर 301 के सभी सहखातेदारो की ओर से पार्थना पत्र पेश नही करने से व खसरा नम्बर 301 के सहखातेदार रामफूल पुत्र नहनू की खसरा न0 303 की भूमि रास्ते के निकटतम होने से मय हर्जा खारिज फरमाया जावें। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने जवाब प्रारम्भिक आपत्ति पेश नही किया। अत दिनाक 11.07.2022 को जवाब बन्द किया गया। दिनांक 04.10.22 को उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगणों के लिए रास्ता कायम किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि सहखातेदार की भूमि रास्ते के निकट स्थित होने से प्रकरण मे खारिज फरमाया जावे। बहस जारी रखी गई।

पत्रावली को अवलोकन किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ से प्रकरण में स्वय मौके पर जाकर मौका व रिकार्ड अनुसार जॉच कर रास्ते मे काम आने वाली भूमि का कुल रकबा लम्बाई चौडाई सहित व रास्ते के आस–पास स्थित खसरा नम्बरान की मौका व रिकार्ड की स्थिति को स्पष्ट रिपोर्ट मय रास्ते मे काम आने वाली भूमि की डी0एल0सी0 सहित गणना कर पत्र कमाक / सरिश्ता / 2022 / 5237 दिनाक 19.10.2022 से स्पष्ट रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार ने अपने पत्रांक रीडर / 2023 / 05 दिनाक 03.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

भावपुरा के खसरा नम्बर 301 रकबा 0.68हैक्टेयर मे जाने हेतु ग्राम भावपुरा के खसरा नम्बर 299 रकबा 0.75हैक्टेयर मे से चाहा गया है। ग्राम भावपुरा के खसरा नम्बर 299 रकबा 0.75हैक्टेयर मे से 4 मीटर चौडा व 41 मीटर लम्बा कुल क्षेत्रफल 164 वर्गमीटर अर्थात 0.0164 हैक्टेयर भूमि रास्ते मे जा रही है। जिसकी मुताबिक डीएलसी के तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा जमवारामगढ से गणना करवायी जाने पर 23,400/-रूपये अक्षरे तैईस हजार चार सौ मात्र जमा योग्य है। दिनाक 17.01.23 को उक्त रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र आपत्ति रिपोर्ट तहसीलदार पेश किया। जिसकी एक प्रति अधिवक्ता प्रार्थीगण को दिलवाई जाकर उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

उभय पक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनने व पैरोकार सरकार का जवाब व पत्रावली का अवलोकन करने पर हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार करना उचित समझते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-ए के तहत प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगणों की भूमि ख0 नं0 299 की दक्षिणी जो कि गै0मु0रास्ता ख0न0 351 के लगवा है उक्त खसरे में से 4 मीटर चौडा एवं 41 मीटर लम्बा कुल क्षेत्रफल 164 वर्गमीटर अर्थात 0.0164 हैक्टेयर भूमि को गैर मुमकिन रास्ता के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर अमल करे एव पालना नजरी नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम करे, रास्ते की भूमि की डीएलसी दर से दुगुनी राशि 23,400/-रूपये अक्षरे तैईस हजार चार सौ रूपये मात्र (मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार) हिस्से अनुसार अप्रार्थी स0 1 लगायात 5 के खाते में प्रार्थीगणों से जमा करवाकर अप्रार्थी स0 1 लगायात 5 के राजस्व नक्शे मे नजरी नक्शे अनुसार किस्म गै मु रास्ता कायम किया जावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टकित कराया जाकर आज दिनांक 02.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/2/2023

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ